**संख्या-2/2016/क0नि0-4-1502/11-2015-300(6)/2013**

**प्रेषक,**

**धीरेन्द्र कुमार वर्मा,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

**कर एवं निबंधन अनुभाग-4** **लखनऊःदिनांक 15 जनवरी, 2016**

**विषयः-वाणिज्य कर कार्यालय भवन, लखनपुर, कानपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु विभागीय ट्रान्सफार्मर एवं मैन पैनल, ओ0बी0सी0 पैनल तथा बसवार की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-कानपुर-09(।।।)/का0भ0/ 2015-16/425/वाणिज्य कर, दिनांक-15.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय भवन, लखनपुर, कानपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु विभागीय ट्रान्सफार्मर एवं मैन पैनल, ओ0बी0सी0 पैनल तथा प्रत्येक तल में लगे बसवार में आये दिन आने वाली खराबी के कारण उसकी मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, कानपुर द्वारा गठित आगणन लागत रू0 90.09 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत रू0 65.12 लाख पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में उक्त कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 65.12 लाख (रू0 पैसठ लाख बारह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
4. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
5. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।
6. कार्य प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करते हुए लोक निर्माण विभाग की लागू दरों पर ही कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसमें किसी विशिष्टियों का समावेश नहीं किया गया है, को भी सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. मरम्मत कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1319-जनपद कानपुर में वाणिज्य कर भवन में विद्युत सम्बन्धी कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

**<u>सं0- 2 / 2016 / क0नि0-4-1502(1) /11-2015 तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार( लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, इलाहबाद।
2- महालेखाकार( लेखापरीक्षा) प्रथम / द्वितीय, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।